प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6244/2009

याचिकाकर्ता : नरेंद्र कुमार दुबे

विरुद्ध

उत्तरवादी गण : छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6245/2009

याचिकाकर्ता : अमृत टोप्पो

विरुद्ध

उत्तरवादी गण : छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य

दिनांक 24 जनवरी, 2011 को निर्णय एवं आदेश की उद्घोषणा हेतु सूचीबद्ध किया जाए

सही /-

माननीय श्री सतीश के अग्निहोत्री

न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6244/2009

याचिकाकर्ता : नरेंद्र कुमार दुबे

विरुद्ध

उत्तरवादी गण : छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सर्विस) क्रमांक 6245/2009

याचिकाकर्ता : अमृत टोप्पो

विरुद्ध

उत्तरवादी गण : छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका

एकल पीठ : माननीय श्री सतीश के अग्निहोत्री न्यायमूर्ति

उपस्थित:- श्री राजेन्द्र तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री मनोज परांजपे, अधिवक्ता, याचिककर्ता की तरफ से।

श्री एन एन रॉय, पैनल अधिवक्ता, शासन / उत्तरवादीगण क्र. 1, 4, और 5 की तरफ से।

श्री ए एस कछवाहा, अधिवक्ता, उत्तरवादीगण क्र. 2, 3, और 6 की तरफ से ।

(24 जनवरी, 2011 को प्रदत्त)

1. दोनों याचिकाओं में समान तथ्य और विधि के प्रश्न शामिल हैं, अतः दोनों रिट याचिकाएं डब्लू.पी.(एस) संख्या 6244 और 6245 / 2009 को इस समान आदेश द्वारा निराकृत किया जा रहा है।

2. इन याचिकाओं में वि.जा. अपील संख्या 19/2009 और 20/2009 में पारित आदेश दिनांक 13.10.2009 (अनुलग्नक P/1) को चुनौती दी गई है, जिसके तहत कलेक्टर सह जिला मिशन निदेशक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, अंबिकापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.02.2009 (अनुलग्नक P/2) के विरुद्ध दायर अपील की पुष्टि की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तथ्य संक्षिप्त में यह हैं कि रिट याचिका (एस) क्रमांक 6244/2009 के याचिकाकर्ता (*इसके बाद 'प्रथम याचिकाकर्ता' के रूप में संदर्भित*) और रिट याचिका (एस) क्रमांक 6245/2009 के याचिकाकर्ता (*इसके बाद 'द्वितीय याचिकाकर्ता' के रूप में संदर्भित*) को शुरुवात में राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन के जिला परियोजना कार्यालय/ब्लॉक केंद्र में क्रमशः ब्लॉक संसाधन समन्वयक और लेखापाल के रूप में निश्चित मासिक वेतन पर अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति विधिक प्रावधानों के अनुसार और उचित चयन प्रक्रिया के माध्यम से, सभी पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने के बाद विज्ञापन दिनांक 05.01.1996 के अनुसरण में की गई थी। चयन सूची प्रकाशित की गई थी और याचिकाकर्ताओं को क्रमशः दिनांक 17.01.1996 और 07.09.1998 के आदेशों के माध्यम से उनके संबंधित पदों पर चयनित और नियुक्त किया गया था। जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना, राजीव गांधी शिक्षा मिशन के पूरा होने के बाद, उनकी सेवाएं जिला परियोजना अधिकारी, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, अंबिकापुर द्वारा दिनांक 31.12.2002 (अनुलग्नक P/4) के आदेश द्वारा ग्रहण की गईं, जिसे राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.04.2003 (अनुलग्नक P/5) के आदेश द्वारा विधिवत स्वीकृत किया गया था। जिला

परियोजना समन्वयक ने दिनांक 18.12.2008 को ब्लॉक संसाधन केंद्र का निरीक्षण किया और याचिकाकर्ताओं की अनुपस्थिति में एक निरीक्षण ज्ञापन तैयार किया और उसे कलेक्टर को प्रस्तुत किया (अनुलग्नक P/7)। निरीक्षण ज्ञापन के आधार पर, कलेक्टर ने दिनांक 22.12.2008 (अनुलग्नक P/8) को एक 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया, जिसमें याचिकाकर्ताओं को तीन दिनों के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया और यह उल्लेख किया गया कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो उनके विरुद्ध गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। याचिकाकर्ताओं ने उक्त कारण बताओ नोटिस का अपना जवाब दिनांक 03.01.2009 (अनुलग्नक P/9) को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात, आक्षेपित आदेश दिनांक 17.02.2009 (अनुलग्नक P/2) द्वारा उन्हें सेवा से हटा दिया गया। इसके विरुद्ध याचिकाकर्तागण ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत आयुक्त के समक्ष अपील दायर की। आयुक्त ने कलेक्टर द्वारा दर्ज निष्कर्षों से सहमति जताते हुए, अपील को खारिज कर दिया और दिनांक 13.10.2009 (अनुलग्नक P/1) के अपने आदेश द्वारा कलेक्टर द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र तिवारी क्र् साथ श्री मनोज परांजपे, अधिवक्ता ने तर्क किया की कलेक्टर ने याचिकाकर्तागण को निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति प्रदान किए बिना जिला परियोजना अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर सेवा समाप्ति का आदेश पारित किया है, जबकि यह निरीक्षण याचिकाकर्ताओं की पीठ पीछे किया गया था। सेवा समाप्ति का यह आदेश नियुक्ति आदेश के खंड 4 के संदर्भ में कोई साधारण सेवा समाप्ति नहीं है, बल्कि यह एक कलंककारी आदेश है, जिसमें यह माना गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं।

5. श्री तिवारी ने आगे तर्क किया कि वित्तीय अनियमितताओं के आरोप याचिकाकर्ताओं की सेवाओं की समाप्ति का आधार हैं। भले ही याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति अस्थायी थी, लेकिन जब वित्तीय अनियमितताओं और कर्तव्य की उपेक्षा के आरोप हों, तो याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिए बिना उनकी सेवाएं समाप्त नहीं की जा सकती थीं। श्री तिवारी का अगला तर्क है कि कलंककारी आदेश के मामले में, जांच रिपोर्ट और अन्य सुसंगत सामग्रियों की प्रति आपूर्ति के बाद उचित जांच की जानी चाहिए, क्योंकि

कलंककारी दंडात्मक आदेश पारित करने से पहले यह अनिवार्य है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय के *चंद्रप्रकाश शाही बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*[1], *पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम बलबीर सिंह*[2], *शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य*[3], और *ढालूराम कोसरेया बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य*[4]के निर्णयों का अवलंब लिया ।

6. दूसरी ओर, उत्तरवादीगण क्र्. 2, 3 और 6 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री ए.एस. कछवाहा ने तर्क किया कि आक्षेपित सेवा समाप्ति आदेश कलेक्टर द्वारा नियुक्ति आदेश के खंड 4 की शर्तों के अनुसार पारित किया गया था। दूसरा यह कि याचिकाकर्ताओं की सेवाएं अस्थायी थीं और उन्हें बिना किसी नोटिस के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। श्री कछवाहा ने आगे तर्क किया कि वर्ष 2007-2008 और 2008-2009 के अभिलेख के निरीक्षण पर, निरीक्षण दल द्वारा याचिकाकर्ताओं की ओर से कई वित्तीय अनियमितताओं और लापरवाही की सूचना दी गई थी और उसके बाद याचिकाकर्ताओं को अपना जवाब देने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया था। जवाब भी दाखिल किया गया था, जो संतोषजनक नहीं पाया गया, और इस तरह आक्षेपित सेवा समाप्ति आदेश नियुक्ति आदेश के खंड 4 की शर्तों के अनुसार पारित किए गए। उन्होंने आगे तर्क किया कि याचिकाकर्ताओं ने अपने जवाब में पहले ही अपना दोष स्वीकार कर लिया है और निवेदन किया है कि यदि कोई गलती हुई है, तो उसे माफ कर दिया जाए। श्री कछवाहा ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *दिल्ली परिवहन निगम बनाम डी.टी.सी. मजदूर कांग्रेस एवं अन्य*[5] के निर्णय का अवलंब लिया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. शासन/उत्तरवादीगण क्र्. 1,4, और 5 की ओर से उपस्थित पैनल अधिवक्ता श्री रॉय ने उत्तरवादिगण क्र्. 2, 3 और 6 के अधिवक्ता के समान तर्क प्रस्तुत किए ।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया, याचिकाओं और उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

---

[1] (2005) 5 SCC 152
[2] (2004) 11 SCC 743
[3] AIR 1974 SC 423
[4] 2008 (III) MPJR-CG 110
[5] (1991) Supp 1 SCC 600

9. याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति, हालांकि अस्थायी थी, लेकिन विधि के प्रावधानों के अनुसार, पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करके और चयन प्रक्रिया आयोजित करने के बाद की गई थी। अतः याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति अवैध नहीं थी। निरीक्षण दल ने अभिलेख का निरीक्षण निर्विवाद रूप से बिना सूचना के और याचिकाकर्ताओं की अनुपस्थिति में किया है। कारण बताओ नोटिस पूरी तरह से निरीक्षण दल द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट पर आधारित था। उत्तरवादिगणों ने न तो अपने अभिवचनों में और न ही मौखिक रूप से याचिकाकर्ताओं के उन दावों का खंडन किया है कि कारण बताओ नोटिस के साथ जांच रिपोर्ट और अन्य सुसंगत दस्तावेज याचिकाकर्ताओं को कभी उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसके अलावा, तीन दिनों के भीतर जवाब देने का समय भी अनुचित था। याचिकाकर्ताओं को उचित समय दिया जाना चाहिए था। इस प्रकार, नोटिस को उचित कारण बताओ नोटिस नहीं माना जा सकता। ऐसे प्रकरण में, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि दंड का आदेश कलंककारी है, तो अस्थायी नियुक्ति के मामले में भी, या परिवीक्षा, तदर्थ या अनुबंध के आधार पर भी, वित्तीय अनियमितताओं या लापरवाही के आरोपों को स्थापित करने के लिए उचित जांच के बाद सुनवाई का उचित अवसर देना अनिवार्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. समान विवाद्यक इस न्यायालय के समक्ष *ढालूराम कोसरेया (पूर्वोक्त)* में सुनवाई के लिए आया था, जिसमें इस न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद निम्नानुसार अवलोकन किया था:

> "13. सर्वोच्च न्यायालय ने *राधे श्याम गुप्ता बनाम यू.पी. स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य* के प्रकरण में पैराग्राफ 34 में अवलोकित किया है कि:
>
> > '34. लेकिन जिन मामलों में सेवा समाप्ति से पहले जांच की जाती है और साक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं और अधिकारी की पीठ पीछे निश्चित प्रकृति के कदाचार के निष्कर्ष निकाले जाते हैं और जहां ऐसी रिपोर्ट के आधार पर सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया जाता है, ऐसा आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा क्योंकि जांच का उद्देश्य आरोपों की सच्चाई का पता लगाकर उसे दण्डित

करना होता है, न कि केवल भविष्य की नियमित विभागीय जांच हेतु साक्ष्य एकत्र करना। ऐसे मामलों में, सेवा समाप्ति को कदाचार पर आधारित या स्थापित माना जाना चाहिए और वह दंडात्मक होगी।'"

"14. सर्वोच्च न्यायालय ने *दीप्ति प्रकाश बनर्जी बनाम सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कलकत्ता एवं अन्य* के प्रकरण में पैराग्राफ 35 में देखा है:

'35. ... उपर्युक्त निर्णय, हमारे विचार में, इस प्रतिपाद्य के लिए एक स्पष्ट प्राधिकृत निर्णय है कि जो सामग्री कलंक के समकक्ष है, उसका परिवीक्षाधीन कर्मचारी के सेवा-समाप्ति आदेश में निहित होना आवश्यक नहीं है, बल्कि वह सेवा-समाप्ति आदेश में संदर्भित किसी भी दस्तावेज़ में या उसके परिशिष्टों में निहित हो सकती है। स्पष्टतः, ऐसा दस्तावेज़ परिवीक्षाधीन कर्मचारी के किसी भी भावी नियोक्ता द्वारा माँगा या बुलाया जा सकता है। ऐसे मामले में, सेवा-समाप्ति आदेश इस आधार पर दूषित होगा कि कोई ऐसी नियमित जांच नहीं की गई थी...'"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"15. सर्वोच्च न्यायालय ने *नर सिंह पाल बनाम भारत संघ एवं अन्य* के मामले में धारित किया है:

'अपीलकर्ता, हालांकि एक आकस्मिक श्रमिक था, लेकिन उसने अस्थायी दर्जा प्राप्त कर लिया था। एक बार जब कोई कर्मचारी "अस्थायी" दर्जा प्राप्त कर लेता है, तो वह कुछ लाभों का हकदार हो जाता है, जिनमें से एक यह है कि वह संविधान के अनुच्छेद 311 द्वारा परिकल्पित संवैधानिक संरक्षण

का हकदार हो जाता है सेवाएँ अपीलकर्ता के विरुद्ध किए गए मारपीट के आरोप के कारण समाप्त की गईं। वर्तमान प्रकरण में सेवा-समाप्ति के आदेश को साधारण छँटनी का आदेश नहीं माना जा सकता। यह दंडस्वरूप पारित आदेश था और, अतः, यह बर्खास्तगी का आदेश था, जो प्रारंभिक जांच के आधार पर तथा नियमित विभागीय जांच किए बिना पारित किए जाने के कारण कायम नहीं रखा जा सकता।'"

"16. सर्वोच्च न्यायालय ने *चंद्र प्रकाश शाही बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य* के मामले में पैराग्राफ 12 में अवलोकन किया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

'12. अब, यह सुस्थापित है कि अस्थायी सरकारी कर्मचारी या परिवीक्षाधीन (प्रोबेशनर्स), संविधान के अनुच्छेद 311(2) के संरक्षण के उतने ही हकदार हैं जितने कि स्थायी कर्मचारी, इस तथ्य के बावजूद कि अस्थायी शासकीय कर्मचारियों के पास पद धारण करने का कोई अधिकार नहीं है और उनकी सेवाएं सेवा अनुबंध की शर्तों के अनुसार या ऐसी सेवा की शर्तों और नियमों को विनियमित करने वाले संबंधित वैधानिक नियमों के तहत, बिना कोई कारण बताए एक महीने का नोटिस देकर किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं । इसलिए, न्यायालय आदेश के वास्तविक स्वरूप को देखने के लिए और यह पता लगाने के लिए कि क्या वह वैसा ही निर्दोष है जैसा कि शब्दों में लिखा गया है, एक साधारण प्रतीत होने वाली शब्दावली वाले आदेश के आवरण को हटा सकते हैं । (देखें: परषोतम लाल धींगरा बनाम भारत संघ) । इस निर्णय में यह स्पष्ट किया गया था कि

> अक्षमता, लापरवाही या कदाचार सरकार को अनुबंध की शर्तों के तहत या सेवा की शर्तों और नियमों को विनियमित करने वाले वैधानिक सेवा नियमों के तहत एक अस्थायी कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने के लिए प्रेरित करने वाले कारक हो सकते हैं, जिसे दूसरे शब्दों में कहें तो, सेवाओं को समाप्त करने का उद्देश्य हो सकता है, लेकिन उद्देश्य अपने आप में आदेश को तब तक दंडात्मक नहीं बनाता जब तक कि आदेश उन कारणों या अन्य अयोग्यताओं पर आधारित न हो ।

"17. *पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम बलबीर सिंह* के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 7 में निम्नानुसार अवलोकित किया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "7. इस प्रकार, यह सिद्धांत कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कदाचार सेवा समाप्ति के आदेश का उद्देश्य है या आधार, लागू किया जाने वाला परीक्षण यह प्रश्न पूछना है कि "जांच का उद्देश्य" क्या था। यदि कोई जांच या आकलन कर्मचारी की ओर से किसी कदाचार का पता लगाने के उद्देश्य से किया जाता है और उस कारण से उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं, तो यह प्रकृति में दंडात्मक होगा। दूसरी ओर, यदि ऐसी जांच या आकलन का उद्देश्य किसी विशेष कार्य के लिए कर्मचारी की उपयुक्तता निर्धारित करना है, तो ऐसी सेवा समाप्ति साधारण सेवा समाप्ति होगी न कि दंडात्मक प्रकृति की। यह सिद्धांत न्यायमूर्ति शाह (जैसा कि वे तब थे) द्वारा 1961 की शुरुआत में 'उड़ीसा राज्य बनाम राम नारायण दास' के मामले में प्रतिपादित किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी

> को 'जांच के उद्देश्य या प्रयोजन' को देखना चाहिए और केवल पूर्ववर्ती जांच के कारण सेवा समाप्ति को दंडात्मक नहीं माना जाना चाहिए। क्या यह सेवा समाप्ति का आदेश पदच्युति के आदेश की श्रेणी में आता है, यह जांच की प्रकृति (यदि कोई हो), उसमें की गई कार्यवाही और ऐसी जांच पर पारित अंतिम आदेश के सार पर निर्भर करता है...
>
> 18. वर्तमान प्रकरण में, प्रकरण के तथ्य स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि याचिकाकर्ता की सेवा की समाप्ति एक साधारण सेवा समाप्ति नहीं थी, बल्कि याचिकाकर्तागण द्वारा की गई कथित अनियमितताओं और कदाचार के आधार पर थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. *ढालूराम कोसरेया (पूर्वोक्त)* में निर्धारित निर्णय को *चंडीकेश्वर सिंह बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य*[6] में अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया है:

> "13... हटाए जाने का आदेश दंडात्मक प्रकृति का होने के कारण, जिसके व्यावहारिक परिणाम होते हैं, नियम, 1999 के नियम 7 में निर्धारित विस्तृत प्रावधानों के अनुसार जांच किए बिना पारित नहीं किया जा सकता है।"

12. *शमशेर सिंह (पूर्वोक्त)* में, सर्वोच्च न्यायालय ने 'उद्देश्य' और 'आधार' शब्द के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है कि गंभीर आरोपों के आधार पर साधारण शब्दों वाला आदेश पारित किया जा सकता है।

13. *दिल्ली परिवहन निगम (पूर्वोक्त)* में, उत्तरवादीगण क्र्. 2, 3 और 6 के अधिवक्ता द्वारा अवलंब लिए गए प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने विधि निर्धारित किया कि:

---

[6] 2007 (3) MPHT 106 (CG)

> 202... अब यह सुस्थापित है कि दूसरे पक्ष को सुनन का नियम, जो अनिवार्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता खंड को लागू करता है, न केवल अर्ध-न्यायिक आदेशों पर, बल्कि संबंधित पक्ष को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले प्रशासनिक आदेशों पर भी लागू होता है, जब तक कि अधिनियम, विनियम या नियम द्वारा इस नियम के अनुप्रयोग को स्पष्ट रूप से वर्जित न किया गया हो, जो कि वर्तमान मामले में नहीं है । नैसर्गिक न्याय के नियम, नियमों और विनियमों को प्रतिस्थापित नहीं करते, बल्कि उनके अनुपूरक होते हैं । इसके अतिरिक्त, विधि का नियम, जो हमारे संविधान में व्याप्त है, यह मांग करता है कि इसका पालन तात्विक और प्रक्रियात्मक दोनों रूपों में किया जाना चाहिए । सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, विनियम 9(बी) अवैध और शून्य है क्योंकि यह मनमाना, भेदभावपूर्ण और शक्ति के प्रयोग के लिए किसी भी दिशा-निर्देश के बिना है । विधि का नियम यह अवधारित करता है कि शक्ति का प्रयोग ऐसे तरीके से किया जाना चाहिए जो न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित हो, न कि अनुचित, सनकी या मनमाने तरीके से, जो भेदभाव के लिए गुंजाइश छोड़ता हो"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. वर्तमान प्रकरणों के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और विधि के स्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, आक्षेपित सेवा समाप्ति आदेश नियुक्ति आदेश के खंड 4 के संदर्भ में 'साधारण सेवा समाप्ति' नहीं है, बल्कि एक 'कलंककारी आदेश' है जिसे उचित जांच में याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना पारित किया गया है। इस प्रकार, आक्षेपित सेवा समाप्ति आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

15. उपरोक्त के आलोक में, आक्षेपित आदेश दिनांक 13.10.2009 (अनुलग्नक P/1) और 17.02.2009 (अनुलग्नक P/2) को रद्द किया जाता है। हालांकि, उत्तरवादिगण

अधिकारियों को स्वतंत्रता दी जाती है कि यदि वे उचित समझें, तो याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का उचित अवसर देने और उपरोक्तानुसार विधि के सिद्धांतों का पालन करने के बाद उचित कदम उठा सकते हैं।

16. दोनों रिट याचिकाएं उपर्युक्त सीमा तक स्वीकार की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है ।

हस्ताक्षरित/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Tranऐसlatईd By Adv. Ashikhar bakhtiyar